

date 19.02.2020

-भारत सरकार के एफ0एन0 नं0-11-268/2014 एफ0सी0 दिनांक 11.

07.2014 में दी गयी शर्तों की अनुपालन आख्या

2. प्रश्नगत प्रस्तावित रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु वृक्ष का पातन निहित है/नहीं है।

4. प्रश्नगत मार्ग/रोड चौड़ीकरण हेतु पूर्व में भारत सरकार वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत भारत सरकार से नहीं ली गयी है। यह शर्त लागू नहीं होती है।

6. प्रश्नगत प्रस्तावित रिटेल आउटलेट के अन्दर चारों ओर बाउण्ड्री से 1.50 मीटर दूरी पर एक मीटर से 1.50 मीटर की दूरी पर हल्के छत्र वाले वृक्ष का रोपण किया जायेगा। इस आशय की वचनबद्धता दी जाती है।

7. प्रश्नगत प्रस्तावित रिटल आउटलेट के आस पास रिक्त पड़े स्थानों, समपर्क मार्गों के बीच रिक्त स्थानों पर रोड सैपरेटर पर क्षतिपुरक वनीकरण के अतिरिक्त पौधों का रोपण किया जायेगा। इस आशय की वचनबद्धता दी जाती है।

दिनांक : 29.6.2021

स्थान : बिजनौर

राजेश शर्मा
प्रादेशिक प्रबन्धक (रिटेल)
भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड
आबू का मकबरा, (राजेश शर्मा)
मेरठ-250002 (उप्रो)

प्रादेशिक प्रबन्धक (रिटेल)

भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड
मेरठ।

Amol Ingle
Executive Engineering (Retail)
Bharat Petroleum Corporation Limited
Abur Road, Khar, Khar East, Khar
Mumbai - 400052 (U.P.)